


खाणि
10/11/2021

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

प्रार्थी	ब	अप्रार्थी
शोहनीदेवी पुत्री शक्तिदेव खन्धा हमिदुल्लाह खान	नी म	
राजस्व प्रार्थना-पत्र = अन्तर्गत धारा 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
प्रार्थना-पत्र नम्बर	585/2021	GCMS No. 2021/664
तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
10.11.2021	<p>प्रार्थी श्री <u>शोहनीदेवी</u> पुत्री <u>शक्तिदेव</u> जाति <u>खन्धा</u> निवासी <u>खानगा</u> द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत <u>खाणि</u> में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत <u>1976-78</u> ग्राम <u>खाणि</u> पटवार मण्डल <u>खाणि</u> के खाता नम्बर <u>11</u> में प्रार्थी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि <u>शोहनीदेवी पुत्री शक्तिदेव हरितपुय</u> दर्ज है, जो अशुद्ध है। प्रार्थी का शुद्ध नाम <u>शोहनीदेवी पुत्री शक्तिदेव खानगा</u> है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप प्रार्थी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर <u>4205 8600 8376</u> मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी <u>खाणि</u> भू.अ.नि. <u>खानगा</u> एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने प्रार्थी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p> 	

380-382